रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 390] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 8, 1980/अग्रहायण 17, 1902
No. 390] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 8, 1980/Agrahayana 17, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1980

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 687(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त

मंत्रालय (राजस्व और बैंकिंग विभाग) की अधिसूचना सं० 47/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 मार्च, 1976 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "असंसाधक (नान क्योरिंग) रबड़ उत्पादों को, जो सामान्यतया टायरों और ट्यूबों के लिए रबड़ वाले आसंजक (रबड़ बेस्ड एडेसिव) के रूप में ज्ञात है," शब्दों के स्थान "टायर और ट्यूबों के लिए असंसाधक, वल्कनीकृत रबड़ उत्पादों को", शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 193/80-के० उ० शु० फा० सं० 57/7/80-के० उ० शु० 2]

डी० मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 1980

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 687(E).— In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in notification of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 47/76-Central Excises, dated the 9th March, 1976, namely :—

In the said notification, for the words, "rubber products commonly known as rubber based adhesives for tyres and tubes, non-curing", the words "vulcanised rubber products, non-curing, for tyres and tubes" shall be substituted.

[No. 193/80-CE. F. No. 57/7/80-CX.2.]

D. MEHTA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980